रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 1989/आषाढ़ 16, 1911
No. 368] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 1989/ASADHA 16, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1989

भा. का. नि. 699(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 123 और धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर इससे पूर्व सभी अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन को अवधि समाप्त होने के पश्चात् मे बंबई पत्तन में प्रवेश करने वाले तथा यहां संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित जहाजों से उक्त अनुसूची के कालम 2 में निर्धारित दरों पर तथा उसके कालम 3 में निश्चित समय पर पत्तन शुल्क लिया जायेगा।

अनुसूची

शुल्क वसूल किए जाने वाले जहाज	प्रति एन.आर.टी पत्तन शुल्क की दर	इसी प्रकार के जहाजों के संबंध में शुल्क कैसे वसूला जाता है
(1)	(2)	(3)
1. (क) दस टन और इससे अधिक (फिशिंग बोट को छोड़कर) के विदेश गामी जहाज	3.00	उसी माह में एक बार
(ख) भारत मे बाहर के पत्तनों मे आने वाले टग, बोट, फैरी बोट तथा नदी बोट जो या तो स्टीम द्वारा अथवा अन्य यांत्रिक माध्यमों द्वारा चलाए जाते हैं।	3.00 रु.	प्रति वर्ष 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच एक बार

(1)	(2)	(3)
2. (क) दस टन और अधिक के तटीय जहाज (फिशिंग बोट को छोड़कर)	1.28 रु.	उसी माह में एक बार
(ख) टग बोट जैसे तटीय जहाज जो या तो स्टीम द्वारा अथवा अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा चलाए गए हों।	1.28 रु.	प्रति वर्ष 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच एक बार
3. (क) बालास्ट के दौरान पत्तन में प्रवेश करने वाला वह जहाज जिसमें यात्री न हो		
(i) किंतु किसी भी प्रकार के कार्गो को अथवा यात्रियों को पत्तन पर ले आता हो अथवा	पत्तन शुल्क का 3/4	उसी माह में एक बार
(ii) किंतु किसी यात्री अथवा कार्गो को ले जाए बिना पत्तन से जाता हो अथवा	पत्तन शुल्क का 1/2	उसी माह में एक बार
(iii) मरम्मत, ड्राई डाकिंग बंकरों को ले जाने, पानी की व्यवस्था अथवा कर्मीदल को बदलने अथवा कर्मी-दल के बीमार सदस्य को उतारने के प्रयोजन से किसी भी यात्री अथवा कार्गो को ले जाए बिना पत्तन से चलने वाले जहाज	पत्तन शुल्क का 1/4	उसी माह में एक बार
वह जहाज जिसने पत्तन शुल्क का 3/4 अदा कर दिया है और पत्तन से चला जाता है किंतु कार्गो अथवा यात्रियों सहित अथवा किसी अन्य प्रयोजन से उसी माह के भीतर जिसके लिए भुगतान कर दिया था, पत्तन में फिर से प्रवेश करता है।	पत्तन शुल्क का 1/4	उसी माह में एक बार
वह जहाज जो पत्तन में प्रवेश तो करता है लेकिन किसी प्रकार के कार्गो अथवा यात्रियों को उतारता अथवा ले जाता नहीं है (कार्गो के उस भाग शिपमेंट तथा री-शिपमेंट को छोड़कर जो मरम्मत के प्रयोजन से आवश्यक समझा गया हो)	पत्तन शुल्क का 1/2	
5. टैलिग्राफ जहाज	पत्तन शुल्क का 1/2	
6. सैर के लिए पाल नौका अथवा किसी जहाज को, जिसने पत्तन छोड़ दिया है लेकिन मौसम के दबाव के कारण अथवा किसी क्षति के परिणाम स्वरूप जो मौसम के दबाव के कारण अथवा उसके बाद हुई हो, पत्तन में पुनः प्रवेश करने के लिए बाध्य किया गया हो।	कोई पत्तन शुल्क नहीं	
7. कार्गो वाले संकटग्रस्त जहाज जिसे बंदरगाह में खींचकर लाया गया हो।	पूरा पत्तन शुल्क	उसी माह में एक बार।
8. बोर्ड पर बिना किसी कार्गो के संकटग्रस्त जहाज जिसे बंदरगाह के भीतर खींच कर लाया गया हो।	पत्तन शुल्क 3/4	

इस अनुसूची में व्याख्या :

(1) "तटीय जहाज" से तात्पर्य उस जहाज से है जो भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान तक यात्रियों अथवा माल को समुद्र के जरिए लाने ले जाने के कार्य में लगा हो।

(2) "विदेश गामी जहाज" से तात्पर्य है वह जहाज जो भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान के बीच तथा भारत से बाहर के किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान अथवा पत्तनों अथवा स्थानों के बीच व्यापार कार्य में लगा हो।

(3) "सैर के लिए पाल नौका" से तात्पर्य किसी भी तरह चलाए जाने वाले उस जहाज से है जो केवल समुद्री पर्यटन के लिए प्रयुक्त होता है और वाणिज्यिक आधार पर किसी यात्री को नहीं ले जाता।

(4) "टैलिग्राफ जहाज" से तात्पर्य उस जहाज से है जो दूर संचार के लिए समुद्री केबलों को उठाने, उनकी जांच करने और उन्हें बिछाने के लिए मशीनरी और गेयरों से लैस है।

[फा. सं. पी आर-14012/9/89-पी जी]

योगेंद्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1989

G.S.R. 689 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33 and Section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), and in supersession of all previous notifications and orders on the subject, the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, port due shall be levied on vessels entering the Port of Bombay and described in column 1 of the Schedule hereto annexed at the rates specified in column 2 thereof at the time fixed in column 3 of the said schedule.

SCHEDULE

Vessels Chargeable	Rates of Port dues per NRT	Due how often chargeable in respect of same vessels
1	2	3
1. (a) Foreign going vessels of Ten tons, and upwards (except fishing boats))	Rs. 3.00	Once in the same month
(b) Tugs, boats, ferry boats and river boats, whether propelled by steam or other mechanical means arriving from ports outside India.	Rs. 3.00	Once between the 1st Jan. and the 30th June and once between 1st July and 31st December in each year.
2. (a) Coasting vessels of ten tons and upwards (except fishing boats)	Rs. 1.28	Once in the same month.
(b) Coasting vessels, such as tug boats, whether propelled by steam or other mechanical means.	Rs. 1.28	Once between the 1st Jan. and the 30th June and once between the 1st July and 31st December in each year.
3. (a) A vessel entering the Port in ballast and not carrying passengers.		
(i) But taking in any cargo or passengers at the Port	3/4 of the Port dues	Once in the same month.
OR		
(ii) but sailing from the Port without taking in any passengers or cargo.	1/2 of the Port dues	Once in the same month.
OR		
(iii) for the purpose of repairs, dry docking, taking in bunkers, provisions of water or for change of crew or for discharging any sick member of the crew and sailing from the Port without taking in any passenger or cargo.	1/2 of the Port dues	Once in the same month.
(b) A vessel, which, having paid 3/4 port dues, leaves port but again re-enters the port due with cargo or passengers or for any other purpose within the month for which payment was made.	1/4 of the port dues.	Once in the same month.
4. A vessel which enters the Port but does not discharge or take in any cargo or passengers (with the exception of such unshipment and re-shipment of cargo as may be necessary for purpose of repairs).	1/2 of the Port dues	Once in the same month.

1	2	3
5. Telegraph vessels.	1/2 of the Port dues	
6. Pleasure Yatch or any vessel which having left the port is compelled to re-enter it by stress of weather or in consequence of having sustained any damage, either with or without stress or weather.	No Port dues	
7. A vessel in distress with cargo on board brought into harbour in tow.	Full Port dues.	Once in the same month.
8. A vessel in distress with no cargo on board brought into harbour in two.	3/4 of the Port dues	

Explanation—In this Schedule :

(1) "Coasting Vessel" means a vessel engaged in the carriage by sea of passengers or goods from any Port or Place in India to any other Port or place in India.

(2) "Foreign-Going Vessel" means a vessel employed in trading between any Port or place in India and any other Port or place or between Ports or places outside India.

(3) "Pleasure Yatch" means a ship howsoever propelled which is exclusively used for pleasure cruises and does not carry any passengers on a commercial basis.

(4) "Telegraph Vessel" means a vessel equipped with machinery and gears for lifting, examining and laying submarine cables for overseas communications.

[File No. PR-14012/9/89-PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989